



Australian Government

रेसिज्म (नस्लवाद) स्वीकार्य नहीं है

यदि आप नस्लीय भेदभाव, उत्पीड़न या घृणा होते देखते/देखती हैं या इसका अनुभव करते/करती हैं, तो चुप न बैठे रहें; इसके बारे में बताएँ।

यदि आपके साथ नस्लवादी (रेसिस्ट) व्यवहार किया गया है

- यदि आप पर हमला किया जाता है या आपके साथ हिंसा करने की धमकी दी जाती है, तो पुलिस से संपर्क करें।
 - आपातकालीन या प्राणघातक स्थिति में, ट्रिपल जीरो (000) पर फोन करें और पुलिस के लिए कहें।
 - यदि आपको पुलिस की सहायता की ज़रूरत है, परन्तु कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, तो पुलिस सहायता सेवा (131 444) पर फोन करें।
- यदि कोई हिंसा नहीं हुई है, और यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो आप इस काम में शामिल व्यक्ति या लोगों से सीधे संपर्क करके स्थिति से खुद निपटना चाह सकते/सकती हैं।
- यदि सीधे संपर्क करने से स्थिति का समाधान नहीं होता है, या आप ऐसा करने में सुखद महसूस नहीं करते/करती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (Australian Human Rights Commission - AHRC) को शिकायत कर सकते/सकती हैं।
 - AHRC को शिकायत करने के लिए, www.humanrights.gov.au/complaints वेबसाइट पर जाएँ या AHRC की राष्ट्रीय सूचना सेवा को 1300 656 419 या 02 9284 9888 पर फोन करें।

आसपास खड़े या घटना को देखने वाले लोगों के अधिकार

जब नस्लवाद (रेसिज्म) होता देखने वाले लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो इससे पीड़ित व्यक्तियों को यह महसूस होता है कि उसका समर्थन किया जा रहा है, और हो सकता है कि ऐसा करने से जो व्यक्ति नस्लवादी (रेसिस्ट) व्यवहार कर रहा हो, वह अपने व्यवहार पर दोबारा विचार करे। अपने आपको खतरे में न डालें। परन्तु यदि ऐसा करना सुरक्षित हो, तो आवाज उठाएँ और पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएँ। एक सामान्य इशारा या संकेत भी प्रभावशाली हो सकता है।

यदि आप नस्लवादी (रेसिस्ट) व्यवहार होते देखते/देखती हैं तो आप:

- आवाज उठाएँ – इसे नस्लवाद (रेसिज्म) कहकर बुलाएँ, ताकि दोषी व्यक्ति को यह पता चले कि यह स्वीकार्य नहीं है
- पीड़ित व्यक्ति का समर्थन करें – पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएँ और उनसे पूछें कि क्या वह ठीक हैं
- प्रमाण इकट्ठा करें – अपने फोन में घटना को रिकॉर्ड करें, दोषी व्यक्ति की फोटो खींचें और इसकी सूचना प्राधिकरणों को दें

आसपास खड़े या घटना को देखने वाले लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के सुझावों के लिए

<https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism> वेबसाइट देखें

नस्लीय भेदभाव और आपके अधिकार

ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के साथ रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता या संजातीय मूल के आधार पर कुछ ऐसा करना गैर-कानूनी है जिससे **अपमान, अनादर, नीचा दिखाए जाने या डराए-धमकाए जाने** की संभावना हो। इस प्रकार के व्यवहार को नस्लीय घृणा के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है।

नस्लीय घृणा की उदाहरणों में निम्नलिखित उदाहरणें शामिल हो सकती हैं:

- इंटरनेट में नस्लीय तौर पर अपमानजनक सामग्री, इसमें ई-फोरम, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वीडियो शेयरिंग साइट्स शामिल हैं
- किसी समाचार-पत्र, मैगज़ीन या पुस्तिका या पत्रक जैसे अन्य प्रकाशन में नस्लीय तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ तस्वीरें
- किसी सार्वजनिक सैली में नस्लीय तौर पर अपमानजनक भाषण
- दुकान, कार्यस्थल, पार्क जैसे किसी सार्वजनिक स्थान में या जन परिवहन या स्कूल में नस्लीय तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ
- खिलाड़ियों, दर्शकों, कोच या अधिकारियों द्वारा किन्हीं खेलकूद समारोहों में नस्लीय तौर पर अपमानजनक टिप्पणियाँ

कानून स्वतंत्र रूप से संचार करने ('अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता') के अधिकार और जातीय घृणा से मुक्त रहने के अधिकार में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। हो सकता है कि कुछ कार्य गैर-कानूनी न हों यदि उन्हें "यथोचित तरीके से और नेक नीयत" से किया जाए।

जातीय भेदभाव उस परिस्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, उसके रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल या आप्रवास स्थिति के कारण किसी समान स्थिति में किसी अन्य की तुलना में कम सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाता है, जैसे कि जब किसी विशेष जातीय पृष्ठभूमि से सम्बन्धित होने या त्वचा का कोई विशिष्ट रंग होने के कारण किसी व्यक्ति को घर किराए पर देने से मना किया जाए।

जातीय भेदभाव उस परिस्थिति में भी होता है जब कोई ऐसा नियम या नीति हो जो हर किसी के लिए समान हो परन्तु जिसका किसी विशेष नस्ल, रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल या आप्रवास स्थिति के लोगों पर अनुचित प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि यदि कोई कम्पनी कर्मचारियों को कहे कि उन्हें काम पर हैट या कोई अन्य टोपी, पगड़ी आदि नहीं पहननी चाहिए तो इसके कुछ नस्लीय/संजातीय पृष्ठभूमि के लोगों पर अनुचित प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है।

यदि आप नस्लीय भेदभाव या घृणा का सामना करते/करती हैं तो आप ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को इसकी शिकायत कर सकते/सकती हैं। शिकायत प्रक्रिया सरल, निःशुल्क और अनुकूलनीय है।

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को शिकायत करने के लिए, www.humanrights.gov.au/complaints वेबसाइट पर जाएँ।

राष्ट्रीय सूचना सेवा

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग की राष्ट्रीय सूचना सेवा (NIS) व्यक्तियों, संस्थाओं और नियोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों और भेदभाव से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचना और रेफरल प्रदान करती है। यह सेवा निःशुल्क और गोपनीय है।

NIS निम्नलिखित कर सकती है:

- फेडरल (संघीय) मानवाधिकार और भेदभाव-विरोधी कानून के तहत आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आपको सूचना प्रदान करना
- यह चर्चा करना कि क्या आप आयोग को शिकायत करने में सक्षम हो सकते/सकती हैं या कानून आपकी परिस्थिति पर कैसे लागू हो सकता है
- आपको यह सूचना देना कि शिकायत कैसे करें, शिकायत का जवाब देना या भेदभाव से सम्बन्धित विशिष्ट मुद्दों से निपटना

- आपको किसी अन्य संगठन को रेफर कर सकती हैं जो सम्भवतः आपकी सहायता करने में सक्षम हो

कृपया ध्यान दें कि NIS कानूनी सलाह प्रदान करने में असक्षम है।

आप निम्नलिखित तरीकों से NIS से संपर्क कर सकते/सकती हैं:

- फोन: 1300 656 419 या 02 9284 9888
- ई-मेल: infoservice@humanrights.gov.au
- फैक्स: 02 9284 9611
- नेशनल रिले सेवा: 1300 555 727 (स्पीक एंड लिसन) या internet-relay.nrscall.gov.au

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS नेशनल) उन लोगों के लिए एक दुभाषिया सेवा है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। TIS नेशनल की अधिकांश सेवाएँ गैर-अंग्रेज़ी भाषी लोगों के लिए निःशुल्क हैं।

- फोन: 131 450
- वेबसाइट: www.tisnational.gov.au

सलाह-मशवरा और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण

COVID-19 महामारी के दौरान लोगों की सहायता करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार की गई एक नई 24/7 समर्थन सेवा सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

<https://coronavirus.beyondblue.org.au/> वेबसाइट पर जाकर इस समर्थन सेवा तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है।

व्यक्तिगत संकटकाल और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन सेवाओं के लिए आप किसी भी समय Beyond Blue को 1800 512 348 पर या Lifeline को 13 11 14 पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

Kids Helpline 5 से 25 साल के युवा लोगों के लिए एक निःशुल्क सेवा है। बच्चे, किशोर और युवा वयस्क किसी भी समय 1800 551 800 पर फोन कर सकते हैं।